

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 161]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 22, 2014/माघ 2, 1935

No.161]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 22, 2014/MAGHA 2, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

## अधिसचना

नई दिल्ली, 22 जनवरी, 2014

का.आ. 199(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115 कघ के स्पष्टीकरण के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (विदेशो पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2014 के अंतर्गत पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को उक्त धारा के प्रयोजनों हेतु विदेशी संस्थागत निवेशक के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[अधिसूचना सं. 9/2014/फा. सं.-173/10/2014-आयकर नि. I]

दीपशिखा शर्मा, उप सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

## [CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES] NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd January, 2014

**S.O. 199(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (a) of the Explanation to Section 115 AD of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby specifies Foreign Portfolio Investors registered under the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2014, as Foreign Institutional Investor for the puposes of the said section.

[Notification No. 9/2014/ F. No. 173/10/2014-(ITA.I)]

DEEPSHIKHA SHARMA, Dy. Secy.